GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO –233
ANSWERED ON - 17/03/2021

INDIRA GANDHI NATIONAL WIDOW PENSION SCHEME

233. # SHRI KAILASH SONI

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

(a) whether the age limit of widows would be reduced from 40 to 18 years under Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS), if so, by when and if not, the reasons therefor; and

(b) whether abandoned and unmarried females of over 50 years would be included in Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, if so, by when, and if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(SHRI THAAWARCHAND GEHLOT)

(a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House

*****

Statement referred to in reply to Parts (a) and (b) of Rajya Sabha Starred Question No. *233 to be answered on 17.03.2021

(a) The Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS), under National Social Assistance Programme (NSAP), a 100% centrally funded Centrally Sponsored Programme of the Ministry of Rural Development is being implemented by the States and Union Territories in respect of such widows who are in the age-group of 40-79 years and belong to Below Poverty Line (BPL) households. The selection of beneficiaries and disbursement of pension are done by States/UTs. There is no proposal for reduction of age limit from 40 years to 18 years for the widows.

(b) The abandoned and unmarried females are not covered under Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) and no proposal for inclusion of abandoned and unmarried females under IGNWPS is under consideration.

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं.233
उत्तर देने की तारीखः 17.03.2021

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

233. **श्री कैलाश सोनीः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के अंतर्गत विधवाओं की आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाएगी, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ख) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत परित्यक्ता एवं 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचन्द गेहलोत)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 233 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का केन्द्र द्वारा वित्तपोषित एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, इसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उन विधवाओं के संबंध में कार्यान्वित किया जाता है, जो 40-79 वर्ष की आयु वर्ग की होती हैं और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से संबंध रखती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों का चयन और पेंशन का वितरण किया जाता है। विधवाओं की आयु सीमा को 40 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के अंतर्गत परित्यक्त की गई और अविवाहित महिलाओं को कवर नहीं किया जाता है और आजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत परित्यक्त की गई और अविवाहित महिलाओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

श्री कैलाश सोनी : उपसभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विधवा के पुनर्विवाह के लिए कोई प्रोत्साहन राशि की योजना है और क्या केन्द्र के collaboration से मध्य प्रदेश में यह राशि प्रदान की जाती है?

श्री थावरचन्द गहलोत : सर, अभी इस प्रकार की कोई प्रणाली प्रचलित नहीं है।

श्री उपसभापति : दूसरा सवाल।

श्री कैलाश सोनी : उपसभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला हितग्राही की पेंशन को प्रति माह 600 रुपए से बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है?

श्री थावरचन्द गहलोत : सर, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। समय-समय पर वह इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श करता है।

श्रीमती रमीलाबेन बेचरभाई बारा : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, उसमें विधवाओं को शामिल किया गया है, लेकिन मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि समाज में परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं की परिस्थिति कितनी दयनीय होती है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या in future वे यह पेंशन योजना उन दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए भी लागू करना चाहते हैं या नहीं?

श्री थावरचन्द गहलोत : सर, जैसा मैंने बताया कि भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय पेंशन सम्बन्धी निर्णय करने का अधिकार रखता है। वह समय-समय पर इस प्रकार के विषयों पर विचार करता है।